प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–जालौन, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,
जिला महिला चिकित्सालय, उरई,
जनपद–जालौन, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– 08/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आयुष/शिकायत/2017–18/1332-2 दिनांक– 07-06-17

विषयः– संविदा आयुष चिकित्सक की आकस्मिक/रात्रिकालीन ड्यूटी लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया डा0 नसरीन खातून, संविदा आयुष महिला चिकित्सक, जिला महिला चिकित्सालय उरई, जनपद–जालौन के मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, उरई, जनपद–जालौन, को सम्बोधित सलंग्न दिनांक रहित प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश में उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आयुष विधा को मुख्यधारा में लाने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा एक ही छत के नीचे विकसित एवं क्रियान्वित किये जाने हेतु मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत समाहित आयुष विधा (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्धा एवं योग) की पद्धतियों का जन–सामान्य को लाभ पहुंचाने हेतु जनपद स्तरीय महिला एवं पुरूष चिकित्सालयों/सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों में आयुष चिकित्सको एवं आयुष फार्मासिस्टों की संविदा पर नियुक्ति कर आयुष औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। मिशन निदेशक महोदय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र संख्या–35/एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/आयुष/गाईडलाइन/2014–15/3882–75 दिनांक– 03.12.2014 द्वारा मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष/महिला) के कर्त्तव्य एवं दायित्व उल्लिखित करते हुये बिन्दु संख्या–14 पर स्पष्ट किया गया है कि संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष/महिला) को किसी भी प्रकार का भौतिक चार्ज नहीं दिया जाएगा, उनसे मेडिकोलीगल नहीं कराया जायेगा, और उनकी ड्यूटी आकस्मिक/रात्रिकालीन सेवाओं में नहीं लगायी जायेगी। साथ ही पत्र संख्या– 02/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आयुष/विविध/2015–16/10165–75 दिनांक–03.02.2016 द्वारा भी समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सकों (पुरूष/महिला) द्वारा उनकी विधा से इतर अन्य कार्य न लेकर उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्य लेना सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से स्पष्ट दिशा–निर्देश समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्गत करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

साथ ही संज्ञान में लाना है कि असाधारण सरकारी गजट, उ0प्र0, विधायी परिशिष्ट एक खण्ड (क) (उ0प्र0 अधिनियम) उ0प्र0 शासन विधायी अनुभाग–1 संख्या–1224/79–वि–1–15–1 (क) 18–2015 अधिसूचना दिनांक 09 सितम्बर 2015 एवं तत्क्रम में जारी आयुष अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– 3223/71–आयुष–1–2015–वि0प0–8/2011 लखनऊ दिनांक 09 अक्टूबर 2015 के अनुसार आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेद/यूनानी) को प्रदेश में पूर्ण रुप से एलोपैथिक चिकित्सा के अधिकार प्राप्त नहीं हैं (उनके द्वारा आई0वी0 इन्जेक्शन/मेडिकोलीगल/अपनी विधा को छोडकर अन्य सभी

प्रकार के शल्य कर्म किया जाना निषेध है) ऐसी अवस्था में उनकी ड्यूटी आकस्मिक/रात्रिकालीन सेवाओं में, जहाँ आई0वी0 इन्जेक्शन/मेडिकोलीगल/शल्य कर्म आदि किया जाना अपरिहार्य हो जाता है, लगाया जाना औचित्यहीन है एवं क्रास प्रिस्क्रिप्शन होने से विधिविरूद्ध है। मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सकों (पुरूष/महिला) द्वारा उनके कर्त्तव्य एवं दायित्वों से इतर अन्य कार्य सम्पादित किये जाने से एवं उनकी ओ0पी0डी0 एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर नहीं भरे जाने से मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम की प्रगति भी बाधित हो रही है। उपरोक्त दिशा–निर्देशों पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0 ने अपने पत्र संख्या–महा0निदे0/कैम्प/2017/662 लखनऊ, दिनांक 01.06.2017 द्वारा भी अपनी सहमति व्यक्त की गयी है।

अतएव आपसे अपेक्षा है कि मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष/महिला) से, इस कार्यालय के पत्र संख्या–35/एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/आयुष/गाईडलाइन/2014–15/3882–75 दिनांक–03.12.2014 में उल्लिखित कर्त्तव्य–दायित्वों एवं पत्र संख्या–02/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आयुष/विविध/2015–16/10165–75 दिनांक–03.02.2016 तथा उ0प्र0 शासन आयुष अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–3223/71–आयुष 1–2015–वि0प0–8/2011 लखनऊ दिनांक 09 अक्टूबर 2015 के अनुरूप ही कार्य लेना सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक।

पत्रांक– 08/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आयुष/शिकायत/2017–18/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक।

D:\LETTER\C.M.O LETTER.docx